न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 01/2024
दायर दिनांक : 01/01/2024
निर्णय दिनांक : 27/11/2025

उनवान

1 नोला पिता मियाराम गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 गोवर्धन पिता मियाराम गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2 छगनलाल पिता मियाराम गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3 जेतुबाई पत्नी धन्ना गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4 देउबाई पिता दयाराम गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5 लक्ष्मीबाई पत्नी स्व0 दयाराम गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
6 जोधा पिता मियाराम गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
7 कन्हैयालाल पिता नाराण गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
8 कैलाशीबाई पिता जीतु गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
9 नोसर पिता किशोर गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
10 प्रेमी पिता किशोर गाडरी गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
11 मीनादेवी पत्नी स्व0 किशोर गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
12 मोहनीबाई पत्नी स्व0 डालू गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
13 रामेश्वरलाल पिता जीतु गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
14 राहुल पिता डालू गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
15 लक्ष्मीबाई पत्नी स्व0 दयाराम गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
16 शंकरलाल पिता किशोर गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
17 सोहनीबाई पत्नी स्व0 जीतु गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
18 हीरालाल पिता उदा गाडरी निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
19 तहसीलदार भूपालसागर
20 पटवार हल्का निलोद

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री लक्ष्मीशंकर जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। पटवार हल्का निलोद तहसील भूपालसागर में दर्ज खाता संख्या नया 431 खसरा स0 1015 रकबा 0.1400 है0 खसरा स0 1948 रकबा 0.5000 है0 खसरा स0 2255 रकबा 0.0600 है0 खसरा स0 2260 रकबा 0.0500 है0 खसरा स0 2269 रकबा 0.3600 है0 खसरा स0 2275 रकबा 0.0900 है0 खसरा स0 2594 रकबा 0.1800 है0 खसरा स0 2595 रकबा 0.2800 है0 ख0स0 2883/1947 रकबा 0.1000है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.7600 है0 स्थित है। उक्त खाता संख्या 431 में मुझ प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा निहित है उपरांकित आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 से 5 तक के संयुक्त खाते दर्ज है और संयुक्त कब्जे काश्त में है जिसमें प्रार्थी अपने हक हिस्से मौके कब्जे अनुसार काबिज हो काश्त कर रहा है। हाल जमाबंदी में दर्ज खाता स0 नया 167 ख0स0 2256 रकबा 0.0600 है0 ख0स0 2265 रकबा 0.4100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4700 है0 स्थित है उक्त खाता संख्या 167 में मुझ प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा निहित हे, उपरांकित आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी 4 6 के संयुक्त खाते दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Office order

और संयुक्त कबजे काश्त में है जिसमें प्रार्थी अपने हक हिस्से मौके कब्जे अनुसार काश्त कर रहा है। हाल जमाबंदी दर्ज खाता स0 नया 161 खसरा स0 1945 रकबा 0.9300 है0 ख0स0 1946 रकबा 0.8800 है0 ख0स0 1951 रकबा 0.7100 है0 ख0स0 1952 रकबा 0.2900 है0 ख0स0 1953 रकबा 0.8500 है0 ख0स0 2978/1945 रकबा 0.0200 है0 ख0स0 2974/1946 रकबा 0.0200 है0 ख0स0 2980/1952 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.7300 है0 स्थित है उक्त खाता संख्या 161 में मुझ प्रार्थी का 1/20 हक हिस्सा निहित है उपरांकित आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 से 4 तथा 7 से 18 तक के संयुक्त खाते दर्ज है और संयुक्त कब्जे काश्त मे है। अप्रार्थी स0 1 2 3 आराजियात खुर्द बुर्द करना चाह रहे है प्रार्थी के हक हिस्से में आगे बढते हुए अवैध तरीके से खनन कर प्रार्थी के हक हिस्से को जाया करने को आमादा है, अवैध खनन कर रहे है प्रार्थी अपने हक पर काश्त नही कर पा रहा है। अप्रार्थी स0 1 2 3 प्रार्थी के हक हिस्से को जाया कर रहे है इसलिए जब तक कानूनी मौके अनुसार बटवाडा नही हो जाता तब तक अप्रार्थी स0 1 से 3 को अवैध खनन से रोकना आवश्यक है। जिससे प्रार्थी अपने हिस्से पर खेती कर सके। इसके लिए अप्रार्थी स0 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 4 से 18 संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाए गए है। अप्रार्थी स0 19 20 प्रार्थना पत्र के पैरा दो में की उप कालम अ ब स में वर्णित उल्लेखित आराजियात से संबंधित दस्तावेज का पंजीयन नही करे हाल राजस्व रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री शब्बीर मोहम्मद एवं अप्रार्थी संख्या 7 से 14 , 16 व 17 की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किये। अप्रार्थी संख्या 6, 15 18 बाद सूचना उपस्थित नही आने से कार्यवाही एक तरफा की गई। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बंध किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित ने राजपक्ष प्रथावित नही होना बताया।

वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी, उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष किसी प्रकार से अवैध खनन नहीं करेगें। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.01 16:40:55 IST
Reason: SelfAttested